इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2011—आषाढ़ 28, शक 1933


### सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

क्र. एफ 5-4-2011-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश को-आपरेटिव्ह सोसाइटीज रूल्स, 1962 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

1. खण्ड 9 में, शब्द "तथा नगरीय बैंक" का लोप किया जाए.

2. खण्ड 12 में,—

(एक) उपखण्ड (1) में, शब्द "अथवा नगरीय बैंक (अर्बन बैंक)" का लोप किया जाए;

(दो) उपखण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5 क) नगरीय-सहकारी बैंक की वैधानिक संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराये जाने की दशा में, देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा :—

**संपरीक्षा फीस का मान**

| 31. 3. ..... को बकाया ऋण अग्रिम | फीस की दर |
|---|---|
| 1. राशि रुपये 5.00 करोड़ तक | रुपये 20,000/- (न्यूनतम) |
| 2. राशि रुपये 5.00 करोड़ से 25.00 करोड़ तक | रुपये 20,000 तथा रुपये 5.00 करोड़ से अधिक बकाया ऋण तथा अग्रिम राशि पर प्रति करोड़ रुपये 1500/-. |
| 3. राशि रुपये 25.00 करोड़ से अधिक | रुपये 50,000 तथा रुपये 25.00 करोड़ से अधिक बकाया ऋण तथा अग्रिम राशि पर प्रति करोड़ रुपये 1000 अधिकतम सीमा रुपये 2 लाख के अधीन. |

इसके अतिरिक्त संपरीक्षा प्रतिवेदन की संवीक्षा एवं निर्गमन हेतु पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत राज्य शासन को देय होगा."

No. F 5-4-2011-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

1. In clause 9, the words "and urban Bank" shall be omitted.

2. In clause 12,—

(i) In sub-clause (1), the words "or Urban Bank" shall be omitted;

(ii) after sub-clause (5), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(5a) In case urban Co-operative Banks Get Statutory Audit done by Chartered Accountant, the payable remuneration shall be as under :—

**Scale of Audit Fees**

| Outstanding loan advances as on 31. 3. . . . . | Rate of fees |
|---|---|
| 1. Amount up to Rs. 5.00 crore | Rs. 20,000/- (minimum) |
| 2. Amount from Rs. 5.00 crore to Rs. 25.00 crore | Rs. 20,000 + Rs. 1500@ per crore above Rs. 5.00 crore outstanding loans and advances. |
| 3. Amount above Rs. 25.00 crore | Rs. 50,000 + Rs. 1000 @ per crore above 25.00 crore outstanding loans and advances up to a maximum limit of Rs. 2 lakh. |

Addition to this, 10% of the remuneration shall be payable to the State Government for scrutiny and issuance of Audit Report."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नीरज श्रीवास्तव,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.